न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/127 **दायरा दिनांक : 26.07.2022**

उनवान

सत्यनारायण सेन पुत्र स्व0 जमनालाल सेन, जाति नाई, निवासी ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. गायत्री बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
2. फूला बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
3. मन्जू बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
4. संतोष बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
   जाति नाई, निवासी ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
5. नाथू पुत्र मूल्या
6. हरीश पुत्र नाथू
7. विनोद पुत्र नाथू
8. राजेश पुत्र नाथू
   जाति खाती, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
9. श्रवण पुत्र श्री मथुरालाल
10. प्रेमचन्द पुत्र श्री मथुरालाल
11. चेतन पुत्र श्री मथुरालाल
12. हेमराज पुत्र श्री मथुरालाल
    जाति नाई, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
13. मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल, पत्नि रामनारायण, जाति नाई, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/128 **दायरा दिनांक : 26.07.202**

उनवान

सत्यनारायण सेन पुत्र स्व0 जमनालाल सेन, जाति नाई, निवासी ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. गायत्री बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
2. फूला बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
3. मन्जू बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
4. संतोष बाई पुत्री स्व0 जमनालाल
   जाति नाई, निवासी ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
5. नाथू पुत्र मूल्या
6. हरीश पुत्र नाथू
7. विनोद पुत्र नाथू
8. राजेश पुत्र नाथू
   जाति खाती, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
9. श्रवण पुत्र श्री मथुरालाल
10. प्रेमचन्द पुत्र श्री मथुरालाल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11. चेतन पुत्र श्री मथुरालाल
12. हेमराज पुत्र श्री मथुरालाल
    जाति नाई, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
13. मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल, पत्नि रामनारायण, जाति नाई, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री दयाराम सेन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री देवकीनन्दन गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5, 6, 7, 8 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 17.10.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 148/2008 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 4, 5, 6, 7 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं. 2660 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 2661 रकबा 1.34 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 हेक्टर वाके माल बोहत, तहसील मांगरोल में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.06.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील आंशिक रूप से कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रति0 स्व0 जमनालाल के वारिसान का नाम सत्यनारायण का रूपनारायण अंकित कर दिया गया तथा फूलाबाई का नाम कलाबाई अंकित कर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील प्रदान किया गया है जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है।

निर्णय एवं डिक्री जैर अपील में अपीलांट का नाम सत्यनारायण का रूपनारायण अंकित कर दिया गया तथा फूलाबाई का नाम कलाबाई अंकित किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इसी हद तक यह अपील पेश की जा रही है।

आदेश जैर अपील अपीलांट की अनु0 में उसे उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय जैर अपील प्रदान किया गया है। स्व0 जमनालाल का दिनांक 03.07.2016 को ही स्वर्गवास हो चुका है उसके कायम मुकाम भी उक्त कार्यवाही में नहीं बनाये गये हैं। इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कारण अपीलांट को जानकारी होने पर तथा उसके हक प्रभावित होने के कारण अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में यह अपील पेश की है। अपीलांट उक्त अपील में प्रभावित पक्षकार है। उक्त अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर अपील दर्ज कर अपील का मेरिट पर निस्तारण किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील आंशिक रूप से निरस्त कर उक्त निर्णय एवं डिक्री जैर अपील में अपीलांट का नाम रूपनारायण के स्थान पर सत्यनारायण एवं कलाबाई के स्थान पर फूलाबाई अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे बाकी डिक्री यथावत रखी जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.05.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील आंशिक रूप से कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रति0 स्व0 जमनालाल के वारिसान का नाम सत्यनारायण का रूपनारायण अंकित कर दिया गया तथा फूलाबाई का नाम कलाबाई अंकित कर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील प्रदान किया गया है जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है।

निर्णय एवं डिक्री जैर अपील में अपीलांट का नाम सत्यनारायण का रूपनारायण अंकित कर दिया गया तथा फूलाबाई का नाम कलाबाई अंकित किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इसी हद तक यह अपील पेश की जा रही है।

आदेश जैर अपील अपीलांट की अनु0 में उसे उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय जैर अपील प्रदान किया गया है। स्व0 जमनालाल का दिनांक 03.07.2016 को ही स्वर्गवास हो चुका है उसके कायम मुकाम भी उक्त कार्यवाही में नहीं बनाये गये हैं। इस कारण अपीलांट को जानकारी होने पर तथा उसके हक प्रभावित होने के कारण अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में यह अपील पेश की है। अपीलांट उक्त अपील में प्रभावित पक्षकार है। उक्त अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर अपील दर्ज कर अपील का मेरिट पर निस्तारण किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील आंशिक रूप से निरस्त कर उक्त निर्णय एवं डिक्री जैर अपील में अपीलांट का नाम रूपनारायण के स्थान पर सत्यनारायण एवं कलाबाई के स्थान पर फूलाबाई अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे बाकी डिक्री यथावत रखी जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा नाम दुरूस्ती का जो अनुतोष चाहा गया है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में प्रस्तुत हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा रिपोर्ट में रूपनारायण पुत्र जमनालाल तथा कला बाई पुत्री जमनालाल के नाम का कहीं भी अंकन नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.04.2018 व निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 26.06.2018 में रूपनारायण पुत्र जमनालाल, गायत्री, कला बाई, मंजूबाई संतोष बाई पुत्रियां जमनालाल का 1/2 हिस्सा खाते में दर्ज किया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रतिवादी क्रम 6 जमनालाल का मृत्यु प्रमाण पेश किया जिसमें जमनालाल की मृत्यु दिनांक 03.07.2016 अंकित है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री 25.04.2018 व फाइनल डिक्री दिनांक 25.06.2018 को जारी की है। अर्थात् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी जमनालाल की मृत्यु हो जाने पर बिना उसके कायम मुकाम बनाये निर्णय पारित कर दिया गया है जो त्रुटिपुर्ण एवं सीपीसी की प्रावधानों के विपरीत है। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार– जब मृतक के वारिसानों को रेकार्ड पर नहीं लिया गया व उनको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, तो पारित निर्णय शून्य है। अतः सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के पालना नहीं किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2022/127 एवं 2022/128 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशानिर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक जमनालाल के विधिक वारिसानों को रेकार्ड पर लिया जाकर तथा वारिसानों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा